

~ ~

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव**  
(पीठारीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 127/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. उगाराम पुत्र रावताराम 2. कानाराम पुत्र रावताराम 3. चुतराराम पुत्र रावताराम 4. नाथूराम पुत्र रावताराम 5. भद्राराम पुत्र रावताराम 6. रामलाल पुत्र रावताराम जाति दर्जी, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. भूराराम पुत्र गुलाबाराम जाति दर्जी, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादीगण - श्री बृजमोहन कुमावत।

--:: निर्णय ::--

दिनांक : 07.05.2026

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीगण अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बीसुकला के ग्राम पुषड के खेत खसरा नम्बर 286 रकबा 14.7063 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	उगाराम, कानाराम, चुतराराम, नाथूराम, भद्राराम, रामलाल पि० रावताराम हि० प्रत्येक 1/6 जाति दर्जी सा. देह खातेदार	पुषड	286	7.3531	बा.चा.	-	हरा
2	भूराराम पुत्र गुलाबाराम जाति दर्जी सा. देह खातेदार	पुषड	286	7.3532	बा.चा.	-	भूरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
 (SDO) शिव  
 शिव (बाड़मेर)

सहायक कलेक्टर  
 (SDO) शिव  
 शिव (बाड़मेर)

